


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 33] नई दिल्ली, अगस्त 28—सितम्बर 3, 2016, शनिवार/भाद्र 6—भाद्र 12, 1938
No. 33] NEW DELHI, AUGUST 28—SEPTEMBER 3, 2016, SATURDAY/BHADRA 6—BHADRA 12, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 175.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय की अकानूनी विभागीय कैटीन में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय की अकानूनी विभागीय कैटीन में समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन. — (1) नियमित वेतन मैट्रिक्स में लेवल में विभिन्न पदों पर सभी नियुक्त कर्मचारियों को इन नियमों के अधीन नियमित पदों पर नियुक्त समझा जाएगा।

(2) उप नियम (1) निर्दिष्ट कर्मचारियों द्वारा संबंधित पदों में की गई सेवाओं को प्रोन्नति, पुष्टि परित्रीक्षा की अवधि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

3. लागू होना. — ये नियम, इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
4. पदों की संख्या वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल. — पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि. — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) में (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
6. निरर्हता.- वह व्यक्ति—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।
- उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
7. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
8. व्यावृत्ति. — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मंत्रालय के विभागीय कैंटीन के पदधारियों/कर्मचारीवृंद के लिए भर्ती नियमों को पहले नहीं बनाया गया था, न ही अब तक इस मंत्रालय द्वारा विभागीय कैंटीन में कोई भर्ती की गई है। विभागीय कैंटीन के विद्यमान कर्मचारीवृंद की पुनर्वास मंत्रालय की स्टाफ कैंटीन में आरंभिक नियुक्ति की गई थी। कर्मचारीवृंद को पुनर्वास मंत्रालय के परिममाण के पश्चात् तारीख 1 अक्टूबर, 1991 से गृह मंत्रालय में अंतरित किया गया था और उन्हें पुनर्वास प्रभाग के रूप में इस मंत्रालय में विलय किया गया था। भर्ती नियम उन व्यक्तियों पर जो पहले से ही सेवा में हैं, पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे और किसी अन्य व्यक्ति पर इन नियमों द्वारा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची-1

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद।	भीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कैंटीन परिचर	07* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिक्रीय	लेवल 1	लागू नहीं होता	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में पद विज्ञापित होने की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त होने तक की अंतिम तारीख होगी।

मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती मीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किमी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सुरक्षा संगठन सचिवालय, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अनुसूची-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक हलवाई-सह-रसोइया	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अतनुसचिवीय	लेवल 2	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में पद विज्ञापित होने की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त होने तक की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(ख) कैटरिंग में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा</p> <p>(ग) खाना पकाने में एक वर्ष का अनुभव;</p> <p>(घ) खाना पकाने, जिसके अंतर्गत स्वच्छता का अनुसरण भी है, के लिए एक व्यवसाय कौशल परीक्षा अभ्यर्थी की उपयुक्तता की पहुंच के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा मंचालित की जाएगी।</p> <p>टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में नव शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर मीधी भर्ती द्वारा।

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में लेवल 1 में ऐसा कैटीन परिचर जिमने कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: खाना पकाने, जिसके अंतर्गत स्वच्छता का अनुकरण भी है, से संबंधित आदि एक व्यवसाय कौशल परीक्षा विभागीय प्रोन्नत समिति द्वारा मंचालित की जाएगी।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिमसे मातृ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन मरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल 1 में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और उसके पाम सहायक हलवाई-मह-रसोइया के रूप में एक वर्ष का अनुभव हो, और

(iii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के लिए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिनमें सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, मित्राय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिनके लिये ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी केवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सुरक्षा संगठन सचिवालय, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अनुसूची-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. हलवाई-सह-रसोइया	1* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल 3	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में पद विज्ञापित होने की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्त होने तक की अंतिम तारीख होगी

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण। (ख) कैंटरिंग में प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा (ग) किसी सरकारी विभाग या	नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>उपक्रम में खाना पकाने में दो वर्ष का अनुभव;</p> <p>(घ) खाना पकाने, जिसके अंतर्गत स्वच्छता का अनुसरण भी है, के लिए एक व्यवसाय कौशल परीक्षा अभ्यर्थी की उपयुक्तता की पहुंच के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा संचालित की जाएगी।</p> <p>टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 में ऐसा सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की मंगणना करने के प्रयोजन के लिए किमी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 में ऐसा सहायक हलवाई-सह-रसोइया जिसने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हैं:-

(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण।

(ख) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में खाना पकाने में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे मानवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन मंरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिनके लिये ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी केवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।

12	13
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सुरक्षा संगठन सचिवालय, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अनुसूची-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. लिपिक	02* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुमचिवीय	लेवल 2	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में पद विज्ञापित होने की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्त होने तक की अंतिम तारीख होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से वाणिज्य सहित 12वीं कक्षा या समतुल्य उत्तीर्ण। (ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्र.मि. और हिंदी में 30 शब्द प्र.मि. की टाइपिंग की गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 केडीपीएच/ 9000 केडीपीएच के समरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रतिमिनट।) टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखवद्ध किए जाएं	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>मक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं मक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर मक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

(11)

<p>प्रोन्नति:</p> <p>वेतन मैट्रिकम में लेवल 1 में ऐसा कैटीन परिचर जिसने कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1: मन्त्रिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से संगठनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवसाय पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए कैटीन परिचर के लिए वांछनीय होगा।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किमी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 में पहले या उस तारीख से जिसमें सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्गठित वेतन मंरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिकम में तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा ममझी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 3: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों महित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)

(13)

<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सुरक्षा संगठन मन्त्रिवालय, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य 	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>
---	--

अनुसूची-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. सहायक प्रबंधक-सह-भंडार रखवाला	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	लेवल 4	अचयन	18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

					टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है और रोजगार समाचार पत्र या समाचार पत्र में पद विज्ञापित होने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आवेदन प्राप्त होने तक की अंतिम तारीख होगी।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक; या</p> <p>(ख) बही खाता संभालने या भंडार संभालने में एक वर्ष के डिप्लोमा सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्याशाखा में स्नातक; और</p> <p>(ग) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भंडार या लेखा संभालने में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित गिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>(i) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 में ऐसा कैटीन लिपिक जिसने कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>(ii) भंडार या लेखा संभालने में दो वर्ष का अनुभव सहित वेतन मैट्रिक्स में लेवल 3 में ऐसा हलवाई-सह-र.सोइया जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(iii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या समतुल्य से वाणिज्य सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>टिप्पण 1: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 में पहले या उस तारीख में जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिचीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

प्रतिनियुक्ति:

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
 (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में लेवल 2 में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; और
 (iii) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।
 (ख) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भण्डार या लेखा संचालने में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उम्मी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, माधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की मीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का माधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिये ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित वेतन मैट्रिक्स में तत्स्थानी लेवल पर की गई सेवा ममझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. अवर सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय - अध्यक्ष	
2. अवर सचिव, सुरक्षा संगठन सचिवालय, गृह मंत्रालय - सदस्य	
3. अवर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य	

[फा. सं. ए-42012/17/2013-प्रशा.-III]

अमरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th August, 2016

G.S.R.175 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Non-Statutory Departmental Canteen of the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Non-Statutory Departmental Canteen (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial constitution.— (1) All employees appointed to various posts in regular Level in the Pay Matrix shall be deemed to have been appointed under these rules to the regular posts.

(2) The services rendered in the respective posts by the employees referred to in sub-rule (1) shall be counted for the purpose of qualifying service for promotion, confirmation, period of probation and pension.

3. Application.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

4. Number of posts, classification, Level in the Pay Matrix. — The number of posts, their classification, Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc. — The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

6 Disqualifications. — No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. Nothing contained in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Explanatory Memorandum

Recruitment rules for the officials/staff of Departmental Canteen of this Ministry had not been framed earlier nor any recruitment has been made in the Departmental Canteen by this Ministry so far. The existing staff of the Departmental Canteen had been initially appointed in the Staff Canteen, Ministry of Rehabilitation. The staff were transferred to the Ministry of Home Affairs with effect from the 1st day of October, 1991 after winding up of Ministry of Rehabilitation and the same was merged in this Ministry as Rehabilitation Division. The recruitment rules will be applicable with retrospective effect to the persons already in service and that no other person will be affected adversely by these rules.

SCHEDULE-1

Name of the post	Number of posts	Classification	LEVEL in the PAY MATRIX	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Canteen Attendant	7 * 2016 *subject to variation dependent on work- load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	LEVEL 1	Not applicable	Between 18-25 years, (Relaxation of age limit upto 40 years for Government servants in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names and in case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Matriculation or equivalent from a recognised Board.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :-</p> <p>Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman,</p> <p>Under Secretary, Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs – Member,</p> <p>Under Secretary, Department of Personnel and Training – Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

SCHEDULE-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Halwai – cum - Cook.	1 * 2016 *subject to variation dependent on work -load	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted. Non-Ministerial.	LEVEL 2	Non- selection post	<p>18-25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names and in case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) 10th Class Pass from a recognised Board or equivalent;</p> <p>(b) a certificate or diploma in catering;</p> <p>(c) One year experience in cooking;</p>	Not applicable.	Two years for direct recruits	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

(d) a Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene etc., shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate.

Note: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(11)

Promotion:

Canteen Attendant in LEVEL 1 in the PAY MATRIX with atleast three years' regular service.

Note 1: A Trade test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee relating to the cooking including maintenance of hygiene, etc.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying Service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the 7th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX extended based on the recommendations of the Commission.

Note 3: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government -

- (i) holding analogous posts on regular basis, or
- (ii) Canteen Attendant in the LEVEL 1 in the PAY MATRIX with atleast three years' regular service and having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and
- (iii) possessing the educational qualification and experience as specified under column (7).

Note:1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note:2 The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note:3 For the purpose of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :-

- Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman,
- Under Secretary, Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs – Member,
- Under Secretary, Department of Personnel and Training – Member.

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

SCHEDULE-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Halwai cum - Cook.	1* 2016 *subject to variation dependent on work -load	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	LEVEL 3	Non-selection post	18-25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names and in case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) 10th Class pass from a recognised Board or equivalent;</p> <p>(b) a certificate or diploma in catering;</p> <p>(c) Two years' experience in cooking preferably in a Government Department or Undertaking;</p> <p>(d) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate.</p> <p>Note: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No.	Two years	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

(11)

Promotion :

Assistant Halwai-cum-Cook with three years regular service in LEVEL 2 in the PAY MATRIX.

Note 1: For the purpose of computing minimum qualifying Service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX extended based on the recommendations of the Commission.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government -

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years' regular service in LEVEL 2 in the PAY MATRIX; and
- (b) possessing the qualifications and experience as under:
(a) 10th Class Pass with a certificate or diploma in catering;
(b) Two years experience in cooking preferably in a Government Department or Undertaking.

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3 : For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :- Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs – Chairman; Under Secretary, Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs – Member; and Under Secretary, Department of Personnel and Training – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

SCHEDULE-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Clerk	2* 2016 *subject to variation dependent on work- load	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	LEVEL 2	Non- selection post	18-25 years (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names and in case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce from a recognised Board or equivalent.</p> <p>(b) Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer. (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 Key Depression per Hour/9000 Key Depression per Hour on an average of 5 key depressions for each word)</p> <p>Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidate otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No.	Two years for direct recruits	Promotion failing which by direct recruitment.

(11)
<p>Promotion</p> <p>Canteen Attendant with at least three years; regular service in LEVEL 1 in the PAY MATRIX.</p> <p>Note 1: A two week training on Organisational Behaviour, Communication Skill and Accounting Practices from Institute of Secretariat Training and Management or any other institute recognised by Government of India or State Government shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk.</p> <p>Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :- Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs - Chairman; Under Secretary, Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs - Member; Under Secretary, Department of Personnel and Training - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

SCHEDULE-5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant Manager-cum-Store Keeper	1* 2016 *Subject to variation dependent on work load	General Central Service. (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial	LEVEL 4 Special allowance as per admissible rules.	Non-selection post	<p>18-25 years, (relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names and in case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(a) Bachelor in Commerce from a recognised University; or</p> <p>(b) Graduate in any discipline from a recognised university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping; and</p> <p>(c) Three years' experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.</p> <p>Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of</p>	Not applicable	Two years for direct recruits	Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
---	--	--	--

(11)

Promotion :

- (i) Clerks with atleast eight years regular service in LEVEL 2 in the PAY MATRIX
- (ii) Halwai-cum-Cook with five years' regular service in LEVEL 3 in the PAY MATRIX with two years experience in handling Stores or Accounts; and
- (iii) 12th Class Pass with Commerce from a recognised Board or equivalent.

Note 1: For the purpose of computing minimum qualifying Service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX extended based on the recommendations of the Commission.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

Deputation:

Officers of the Central Government -

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with atleast eight years' regular service in LEVEL 2 in the PAY MATRIX; and
(iii) possessing the educational qualification as prescribed for direct recruit under Column (7) and
- (b) Three years' experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.

Note:1 The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note:2 The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note:3 For purpose of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding LEVEL in the PAY MATRIX extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :- Under Secretary (Administration), Ministry of Home Affairs. Chairman; Under Secretary, Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs - Member; Under Secretary, Department of Personnel and Training Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-42012/17/2013-Ad. II]

AMARENDRA SINGH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2016

सा.का.नि.176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बंदोबस्त आयोग में स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क बंदोबस्त आयोग, स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि — भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिमका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिमने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह ममाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. आरंभिक गठन-पदधारी, जो स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) का पद धारण किए हुए हैं, जिन्हें इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उक्त पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, को इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा और परिवीक्षा, पुष्टिकरण, प्रोन्नति आदि के प्रयोजन के लिए, ऐसे प्रारंभ से पूर्व उनके द्वारा उक्त पद में नियमित आधार पर दी गई सेवा को ध्यान में रखा जाएगा।

6. शिथिल करने की शक्ति — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।